इंडिया इंटरनेशनल हाउस

Company Name – India International House	Policy Name – Equal Wages Policy
Original date. 04/11/2023 Rev No. 00	Document No. - IIHL/EWP/18

समान परिश्रमिक नीति

परिश्रमिक (रोजगार से सम्बंधित) मतलब, कुल वेतन चाहे उसे किसी भी प्रकार में दिया गया हो।समान कार्य मतलब – पुरुष अथवा महिला द्वारा एक ही कार्य को कुशलता एवं जिम्मेदारी से करना।

1. उद्देश्य: इस नीति का उद्देश्य कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
2. कार्यक्षेत्र: यह नीति : **इंडिया इंटरनेशनल हाउस (India International House)** की सभी इकाइयों पर लागू होती है।
3. विस्तृत नीति:
   - इस नीति के अनुसार नियोजक को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा।
   - अनुभव एवं कुशलता को ध्यान में रखते हुए परिश्रमिक निश्चित किया जायेगा।
   - यह नीति एक कानूनी आवश्यकता है जिसका अनुपालन ना करने पर जुर्मने का प्रावधान है।
4. दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया:
   - अगर समान कार्य के लिए नियुक्ति, उन्नति प्रशिक्षण, स्थानान्तरण किया जाता है तो महिलाओ के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा, लेकिन यह उस स्थान के लिए लागू नहीं होती जहाँ पर विधि द्वारा महिलाओं की नियुक्ति अवैध है।
   - सभी कर्मकारो के दस्तावेज कम्पनी को रखने होंगे।
   - अगर किसी महिला कर्मकार को प्रतीत होता है कि नियोजक द्वारा उन्हें समान कार्य करने के लिए पुरुष कर्मकार से कम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो उसकी सुचना नियोजक को देनी होगी तथा नियोजन वेतन में भिन्नता का कारण बताना होगा।

5. संगठनात्मक संरचना:

कार्यकारी मानव संसाधन इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई होगा।

6. संचार एवं कार्यान्वयन:

- यह नीति सभी कर्मचारियों को सुचना पट पर चस्पा कर बताई जाएगी।
- कर्मचारी को आगमन के समय भी अवगत कराया जायेगा।
- कर्मचारियों को मीटिंग तथा परामर्श के समय अवगत कराया जायेगा।

7. प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण:

प्रबन्धन कर्मचारियों से इस नीति की समझ के विषय में प्रतिपुष्टि फॉर्म पर जानकारी लेगा। अगर कर्मचारी नीति को ठीक से नहीं समझ पाते है तो मीटिंग, प्रशिक्षण, आगमन के समय पर नीति के बारे में बतायेंगे, सभी कर्मचारियों को नीति के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

दस्तावेज़ प्रस्तुतकर्ता: HiManshu

अनुमोदन कर्ता: